XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक रिव्यू 2301–तीन / 14

जिला ~~बुरहानपुर~~ [illegible]

स्थान तथा दिनांक	(कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–5–15	इस प्रकरण में कई पेशियों के बावजूद भी आवेदक की ओर से कोई उप. नहीं हो रहा है तथा आज भी कोई उप. नहीं हुआ । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को अपना प्रकरण चलाने में कोई रूचि नहीं हैं । अतः आवेदक की रूचि के अभाव में यह रिव्यू प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक रिव्यू /14 रिव्यू 2301-III/14

1. छोटेलाल पुत्र रामदीन पटेल
निवासी– ग्राम वकतोरा तह.. गौरिहार
जिला-- छतरपुर

1. म.प्र. शासन

.... ~~आवेदक~~ आवेदक

~~विरूद्ध~~ विरूद्ध

2. कृपाल पटेल पुत्र राजेश्वर पटेल
निवासी– ग्राम वकतोरा तह.. गौरिहार
जिला– छतरपुर

.... अनावेदक

श्री प्रदीप श्रीवास्तव, अभि. द्वारा आज दि. 28-7-14 को प्रस्तुत
28-7-14
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

रिव्यू अंतर्गत धारा 51 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 6.1.14 को अपने यहां के प्रकरण क्र., निगरानी क्र. 3175II/2012 के द्वारा पारित श्री अशोक शिवहरे सदस्य राजस्व मण्डल म.प्र.

महोदय,

आवेदक का रिव्यू आवेदन पत्र निम्नप्रकार प्रस्तुत हैं :–

28/7/2014

1. यहकि, आवेदक के एक निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जो उक्त निगरानी पृ.क्र.नि. 3175II/2012 पर दर्ज हुई जिसे माननीय न्यायालय ने अपने आक्षेपित आदेश द्वारा दिनांक 6.1.14 को इस निर्देश के साथ तहसील न्यायालय की प्रत्यावर्तित किया जाता है कि सीमांकन के पूर्व उभयपक्ष तथा अन्य सरहदी कृषकों की सूचना देने के पश्चात यदि नक्शे में विधिवत तरमीम हो तो उसके आधार पर विधिवत सीमांकन करके और तत्पश्चात प्रकरण का विधि अनुसार निराकरण करें।
2. यहकि, विधिवत सूचना मूल न्यायालय द्वारा दी गई थी और आवेदक द्वारा अपने सगे भाई से आपत्ति प्रस्तुत कराई गई थी।
3. यहकि, यह त्रुटि अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट था प्रगट है।
4. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय में विधिवत सीमांकन की जाकर सीमांकन आदेश तक विधिवत कार्यवाई किया गया था। पंचनामा पर सभी के